

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(17)नविवि/सूरतगढ/2022


जयपुर दिनांक: 10/05/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सूरतगढ (जिला श्रीगंगानगर) के नगरीय क्षेत्र जिनमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष 2036 तक के लिए तैयार करने हेतु अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर को नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं.	गांव के नाम (हिन्दी में)	Village name (In English)
1.	कस्बा सूरतगढ	KASBA-SURATGARH
2.	बीड सूरतगढ	BIHAD-SURATGARH
3.	मानकसर	MANAKSAR
4.	अमरपुरा-जाटान	AMARPURA-JATAN
5.	38 पी बी एन	38 P B N
6.	36 पी बी एन	36 P B N
7.	34 पी बी एन-ए	34 P B N-A
8.	34 पी बी एन-बी	34 P B N-B
9.	37 पी बी एन	37 P B N
10.	35 पी बी एन	35 P B N
11.	33 पी बी एन	33 P B N
12.	4 आर पी एम	4 R P M
13.	45 एस टी जी	45 S T G
14.	44 एस टी जी	44 S T G
15.	रंगमहल	RANGMAHAL
16.	किशनपुरा (पार्ट)	KISHANPURA (Part)
17.	टीलावाली	TILAWALI

राज्यपाल की आज्ञा से


10/5/2022
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम) राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सूरतगढ।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालवी।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय